

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुधु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प सुधु

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पत्रवारी भुरामा व भू.अ.नि. सुधु

..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुधु/नायब तहसीलदार सुधु की अनुशंसा के आधार

पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भुरामा तहसील सुधु व

जिला सुधु की जमाबन्दी सम्वत् 2024-25 में खाता संख्या 34,84,103 में वर्तमान में

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:- 116

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | <u>भुरामा</u> | <u>34,84,103</u> <u>116</u> | <u>नरेन्द्र कुमार शिरो</u> | <u>रामनिरंजन</u> <u>कुमार शिरो</u> |

सुधु
प्रभारी (अधीनस्थ) कलक्टर
पंच पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, सुधु
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 58

दिनांक :- 20/5/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सुधु को भेजकर लेख सुधु कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री रामनिरंजन को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

सुधु
प्रभारी अधिकारी कलक्टर
पंच पीठासीन अधिकारी
(शुद्धी सम्वत्)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
सुधु